B.Com.(H)
P2 - A(CSH)
Paper-III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

UNIT - III

HOLDER AND HOLDER IN DUE COURSE

धारक (HOLDER) :- Sec.(8) के अनुसार –

"वैसे व्यक्ति जो प्रपत्र को अपने नाम में अपने पास रखने और उस पर देय रकम को उसके देनदार पक्षकारों से प्राप्त या वसूल करने का अधिकार रखता है, उसे धारक (HOLDER) कहा जाता है।"

एक धारक होने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है —

(i) वह प्रपत्र को अपने नाम में अपने पास रखने का अधिकारी होगा, अर्थात् प्रपत्र वास्तव में उसके कब्जे में हो। तथा

(ii) वह प्रपत्र पर देय रकम को उसके देनदार पक्षकारों से प्राप्त या वसूल करने का अधिकार होगा।

उपर्युक्त शर्तों का पालन करके ही एक धारक बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति प्रपत्र का धारक नहीं कहा जा सकता है जिसने उसे चुराया है या जिसे वह सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। इस भांति किसी मृत धारक का वारिस या कानून के क्रियान्वयन से प्रपत्र को अपने कब्जे में रखने का अधिकारी बनने

Scanned with CamSc

वाला व्यक्ति धारक होता है. [strikethrough] यद्यपि वह प्रपत्र का आदाता या वाहक नहीं होता.

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति उपर्युक्त दोनों शर्तों को पूरा करने पर ही किसी परक्राम्य प्रपत्र का धारक हो सकता है. यदि कोई आदाता आदेशानुसार देय किसी प्रपत्र को, पृष्ठांकन के बिना अपने एजेन्ट को सौंप देता है तो वह प्रपत्र का भुगतान प्राप्त कर सकने के बावजूद उसका धारक नहीं बनता, क्योंकि वह उसके संबंध में स्वयं अपने से मुकदमा दायर नहीं कर सकता है.

'HOLDER IN DUE COURSE' :- See. (9) के अनुसार - " कोई व्यक्ति

यथाविधि धारक

जो प्रपत्र में उल्लेखित रकम के देय होने से पूर्व, और पृष्ठांकन कर्ता के स्वत्व के दोषों की जानकारी के बिना सद्भावपूर्वक, मूल्यवान, प्रतिफल के बदले, वाहक को देय परक्राम्य प्रपत्र की स्थिति में प्रपत्र का कब्जाधारी (Possessor) या उसके आदेशानुसार देय होने की स्थिति में प्रपत्र का आदाता बना था, उसे यथाविधि धारक कहा जाता है."

निम्नलिखित योग्यता धारक वाले व्यक्ति को यथाविधि धारक कहा जा सकता है.

- (i) धारक होना चाहिए.
- (ii) मूल्यवान प्रतिफल के बदले धारक होना.
- (iii) परक्राम्य प्रपत्र की परिपक्वता तिथी के पूर्व धारक होना.
- (iv) सद्भावपूर्वक धारक बनना तथा
- (v) प्रकट दोष से पूर्ण तथा नियमानुकूल परक्राम्य प्रपत्र लेना.

Scanned with CamSc

परक्राम्य प्रपत्र अधिनियम के अंतर्गत यथाविधि धारक को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान किये गए हैं —

(i) अंतरक से श्रेष्ठ स्वत्व प्राप्त होना

(ii) स्टाम्प लगे अपूर्ण प्रपत्रों के संबंध में विशेषाधिकार

(iii) पूर्विक पक्षकारों की देयता अर्थात वे सभी पूर्विक पक्षकार या उनमें से किसी को तब तक दायी ठहरा सकता है जब तक प्रपत्र का विधिवत् भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

(iv) कल्पित विनिमय पत्रों के संबंध में विशेषाधिकार

(v) सशर्त पृष्ठांकित किए गए प्रपत्र का परक्रामण किए जाने पर विशेषाधिकार।

(vi) प्रपत्र की मूल देयता को अस्वीकार करने के विरुद्ध तथा

(vii) आदाता की पृष्ठांकन करने की क्षमता को अस्वीकार करने के विरुद्ध अर्थात् Sec. 121 के अनुसार आदाता के पृष्ठांकन करने के लिए दिवालिया होने के बावजूद, यथाविधि धारक अपने नाम से प्रपत्र का भुगतान प्राप्त कर सकता है। —